(19)

अनुस्मारक पत्र

शासन से संबंधित / महत्वपूर्ण/ समयबद्ध/अर्थदण्ड

पत्र सं0- जनसूचना-शासन-अधिरोपित अर्थदण्ड वसूली/2019-20 / 269 / वाणिज्य कर

प्रेषक,

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,वाणिज्य कर,
लखनऊ- जोन प्रथम, लखनऊ ।

(जनसूचना अनुभाग) **लखनऊ :: दिनांक :: 24 जुलाई, 2020**

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अभिरोपित अर्थदण्ड की वसूली के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्यालय के पत्र संख्या- 1923 दिनांक 05.03.2020 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या- 1982 दिनांक 18.03.2020, पत्र संख्या- 29 दिनांक 26.05.2020 तथा अनुस्मारक पत्र संख्या- 147 दिनांक 02.07.2020, अनुस्माक पत्र संख्या- 231 दिनांक 16.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उ0प्र0 सूचना आयोग, लखनऊ द्वारा लोक प्राधिकरणों में नियुक्त जनसूचना अधिकारी पर अरोपित अर्थदण्ड की वसूली की अद्यतन सूचना निर्धारित प्रारुप में तीन दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी ।

उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आपके जोन में जनसूचना अधिकारी पर **आरोपित अर्थदण्ड की वसूली की अद्यतन स्थिति पर सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या अभी तक उपलब्ध नही करायी गई है जिसके कारण राज्य स्तरीय संकलित सूचनाएं मा0 राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ एवं शासन को प्रेषित किया जाना सम्भव नही हो पा रहा है । अत: वांछित सूचनाएं निर्धारित प्रारुप में मेल ctpihqlu-up@gov.in** पर अविलम्ब मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(पी0एन0यादव)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ

पृ0प0संख्या व दिनांक ।

प्रतिलिपि :- ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को उक्त पत्र विभागीय वेबसाइट के नोटिस बोर्ड पर अपलोड करने हेतु ।

24/7/2020

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जनसूचना)/जनसूचना अधिकारी
वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ